न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः पीयूष समारिया, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या –36/2024 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2024/156

सरकार जर्ये तहसीलदार तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. श्री रणवीर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अप्रार्थी.

जिला कलक्टर न्यायालय कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना) सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1968 के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण नियम 17–क बाबत आवंटन निरस्त करने ।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 20/01/2026

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री रणवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह के सम्बन्ध में भू–अभि० निरीक्षण वृत कैथून एवं पटवारी हल्का जाखोडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवंटी द्वारा आवंटन शुदा आराजी ग्राम अभयपुर खसरा नंबर 551/25 रकबा 0.34 हे0 पर अकृषि कार्य किया है, अतः आवंटी श्री रणवीर सिंह द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना) सरकारी भूमि का आवंटन नियम 1968 के नियम 17–क का उल्लंघन किया है । अतः आवंटी के हक में किया गया भूमि आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित । अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है । तहसीलदार लाडपुरा से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के सम्बन्ध में जवाब उल जवाब प्राप्त किया, तहसीलदार लाडपुरा ने अपने पत्रांक/ विधि/ 2025/ 7464 दिनांक 29.12.2025 से जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया जो पत्रावली संलग्न है । पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी स्वयं उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाब दिनांक 29.12.2025 में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को वाके ग्राम अभयपुर के खसरा नं0 51 रकबा 12 बीघा दिनांक 9.2.1973 को आवंटित हुई थी । आवंटी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज है । आवंटी ने आवंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के पश्चात नियमानुसार काश्त नहीं किया तथा संवत 2077–80 में भूमि पर ईंट भट्टा संचालित कर अकृषि प्रयोजनार्थ कार्य किया गया है । मौके पर खसरा नम्बर 551/25

रकबा 0.34 हे0 पर अकृषि कार्य ईंट भट्टा संचालित होने से रनियम 17–क में वर्णित तथ्य के अनुसार राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना) सरकारी भूमि आवंटन नियम 1968 के नियम 17–क अंतर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन सम्बन्धी शर्त का उल्लंघन किया है । अतः खसरा नम्बर 551/25 रकबा 0.34 हे0 भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जावें । तहसीलदार लाडपुरा ने अपने जवाब दिनांक 29.12.2025 में अंकित किया है कि खसरा नम्बरान 23 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 27 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 42 रकबा 0.11 हे0 व ख0नं0 551/25 रकबा 0.34 हे0 रणवीर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत साकिन देह गैर खातेदार के रूप में दर्ज है । वर्णित खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 551/25 रकबा 0.34 हे0 पर ईंट भट्टा लगा हुआ है, शेष खसरों पर रिकार्डेड गैर खातेदार द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है । साबिक खसरा नं0 51 से खसरा नं0 23,27,42, 551/25 तथा खसरा नं0 24 बने है जो मिलान क्षैत्रफल से साबित है । पेरोकार सरकार द्वारा आवंटित भूमि खसरा नं0 23,27,42, 551/25 में से खसरा नम्बर 551/25 रकबा 0.34 हे0 भूमि का आवंटन निरस्त करने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है ।

4. अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी रणवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम अभयपुरा प0म0 जाखोडा तहसील लाडपुरा का रहने वाला है । प्रार्थी काश्तकारी करके अपना जीवन निर्वाह करता चला आ रहा है । प्रार्थी के नाम से खसरा नम्बर 551/25 रकबा 0.34 हे0 ग्राम अभयपुरा के माल तहसील लाडपुरा कोटा स्थित आराजीयात दिनांक 9.2.1973 को सेटलमेंट से पूर्व आवंटन हुई थी । प्रार्थी खसरा नम्बर 23 रकबा 0.14 हे0 खसरा नम्बर 27 रकबा 0.67 हे0, खसरा 42, रकबा 0.11 हे0 कुल किता3 रकबा 0.92 हे0 आराजी पर काश्तकारी करता चला आ रहा है प्रार्थी ने उक्त आराजीयात में गेहूं चने की फसल बो रखी है जिसकी कटाई भी मेरे द्वारा करली गई है । प्रार्थी को खसरा नम्बर 551/25 रकबा 0.34 हे0 ग्राम अभयपुरा के माल तहसील लाडपुरा स्थित आराजीयात को निरस्त करके उसके स्थान पर जो खसरा नम्बर 23 रकबा 0.14 हे0, खसरा नम्बर 27 रकबा 0.67 हे0, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.92 हे0 जिस पर प्रार्थी सदैव से ही कार्य करता चला आ रहा है उस गैर खातेदारी आराजी को खातेदारी में प्रार्थी के नाम दर्ज कने के आदेश प्रदान करें ।

5. हमने पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम अभयपुरा पटवार हल्का तहसील लाडपुरा में अप्रार्थी रणवीर सिंह को राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना) सरकारी भूमि आवंटन नियम 1968 में दिनांक 9.2.1973 को खसरा नम्बर 51 की रकबा 12 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हुई थी । उक्त आवंटन सेटलमेंट पूर्व का होकर बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 51 के नये नम्बर 23,27,42, 551/25 तथा खसरा नं0 24 बने है, जो तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट दिनांक 29.12.2025 से जाहिर होता है । आवंटन पश्चात आवंटी द्वारा खसरा नम्बर 23 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 27 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 42 रकबा 0.11 हे0 किता 3 रकबा 0.92 हे0 पर कब्जा काश्त की जा रही है तथा खसरा नम्बर 551/25 रकबा 0.34 हे0 पर ईंट भट्टा संचालित होकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाने से अप्रार्थी को आवंटन आदेश दिनांक 9.2.1973 में आवंटित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 551/25 रकबा 0.34 हे0 का आवंटन निरस्त योग्य है जिसे अप्रार्थी भी अपने जवाब में स्वीकार कर रहा है तथा शेष खसरा नम्बरान 23 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 27 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 42 रकबा 0.11 हे0 किता 3 रकबा 0.92 हे0 पर कब्जा काश्त होना बताया है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 9.2.1973 में आवंटित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 551/25 रकबा 0.34 हे0 का आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते है कि खसरा नम्बर 551/25 की रकबा 0.34 हे0 सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जा सरकार प्राप्त करें तथा शेष खसरा नम्बरान 23 रकबा 0.14 हे0, ख0नं0 27 रकबा 0.67 हे0, ख0नं0 42 रकबा 0.11 हे0 किता 3 रकबा 0.92 हे0 पर कब्जा काश्त होने से वर्तमान रेकार्ड अनुसार यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा